

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं01, आजमगढ़।

सिविल अपील संख्या 128/2022

दयानन्द आदि बनाम मनफेर आदि

दिनांक 06.11.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी बेचू की ओर से प्रार्थनापत्र 13 ग 2 मय शपथपत्र 14 ग 2 प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण पर तामिला जरिये स्थानीय अखबार से कराये जाने की अनुमति देने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी राजपत्ती की ओर से विपक्षीगण पर तामीला, जरिये प्रकाशन स्थानीय अखबार के माध्यम से कराये जाने की याचना की गयी है। अपीलार्थी ने जरिये डाक, सम्मन के माध्यम से हर सम्भव कोशिश विपक्षीगण पर तामीला हेतु की है किन्तु तामीला सम्भव नहीं हो पाया है। न्यायालय की राय में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील के सम्यक रूप से गुण-दोष के आधार पर निस्तारण के लिए विपक्षीगण पर तामीला किया जाना न्यायसंगत होगा। न्यायहित प्रार्थनापत्र 13 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी बेचू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 13 ग 2 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी को विपक्षीगण पर तामिला हेतु क्रम से आने वाले सर्वाधिक प्रसार वाले स्थानीय अखबार में प्रकाशन कराये जाने की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी 03 कार्यदिवस के अन्दर विपक्षीगण पर तामीला हेतु पैरवी सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 08.12.2023 को पेश हो।

दि० 06.11.2023

अपर जिला जज
कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।